


न्यायालय, अनुमण्डल पदाधिकारी—सह—नीलाम पत्र पदाधिकारी, चैनपुर (गुमला)।
आदेश पत्रक

जिला — गुमला

वाद सं०— 75/2020-21

केस का प्रकार — नीलाम पत्र

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई की दिप्पणी एवं तारीख
	<p>बैंक ऑफ इण्डिया, जारी</p> <p>बनाम</p> <p>संजु लकड़ा..... विपक्षी</p> <p>अधियाची पदाधिकारी शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ इण्डिया, जारी शाखा से लोक मांग वसूली अधिनियम की धारा 5 के तहत नीलाम—पत्र दायर करने की अधियाचना प्राप्त हुई जिसमें संजु लकड़ा, पिता— रामजन लकड़ा, ग्राम— गोविन्दपुर, पोस्ट— गोविन्दपुर, थाना— जारी, जिला— गुमला के विरुद्ध देनदार दिखाते हुए राशि 24432.00 रुपये पर बकाया राशि दर्शाया गया था।</p> <p>बैंक ऑफ इंडिया, जारी के द्वारा दिया गया अदेय प्रमाण पत्र के आधार पर वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>अतः वाद की कार्यावाही समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं सशोधित</p> <p> कार्यपालक दण्डाधिकारी —सह— नीलाम पत्र पदाधिकारी, चैनपुर (गुमला)।</p> <p> कार्यपालक दण्डाधिकारी —सह— नीलाम पत्र पदाधिकारी, चैनपुर (गुमला)।</p>	